ICT पाठ्यवस्तु निर्माण

राजनैतिक दल

कक्षा १० सामाजिक विज्ञान

प्रस्तुत विषय वस्तु में राजनैतिक दलों के अर्थ ,उनके गठन, कार्य प्रणाली के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है तथा वर्तमान समय में भारत में कार्यरत विभिन्न राजनैतिक दलों पर प्रकाश डाला गया है |

अजय सिंह गोबाडी

11/17/2017

ICT पाठ्यवस्तु निर्माण

विषय - राजनैतिक दल

राजनैतिक दल का अर्थ :-

राजनैतिक दल लोगों का एक समूह है जो शासन में राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने तथा उसे बनाये रखने के लिए कार्य करता है, यह समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठन है |

दल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ है - विभाजन , अर्थात जब भी समाज में परस्पर विरोधी मतों (विचारों) के व्यक्तियों के मध्य स्वयं की स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष होता है तो इस संघर्ष के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों का जन्म होता है |

जिस प्रकार विद्यालय में एक समान रूचि वाले छात्र/छात्राएं अपना एक गुट बना लेते हैं, उसी प्रकार राजनीति में एक समान विचारधारा व सिद्धांत में विश्वास रखने वाले लोग अपना एक दल बना लेते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि देश के व्यवस्था उनके विचारों व सिद्धांतों के अनुसार चले |

किसी भी राजनैतिक दल के तीन मुख्य तत्व होते हैं

- नेता जो चुनाव लड़ते हैं |
- सक्रिय सदस्य जो चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन पार्टी के कार्यों में सक्रियता से भाग लेते हैं |
- समर्थक , जो पार्टी से बाहर रहकर पार्टी का समर्थन करते हैं और प्रायः पार्टी के स्थायी वोटर होते हैं |

राजनैतिक दलों की परिभाषा :-

विभिन्न लोगों ने राजनैतिक दलों की परिभाषा दी है जिनमे से एडमंड बर्क के अनुसार - राजनैतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांत पर चलते हुए अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित का परिवर्तन करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते है|

राजनैतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए राजनैतिक दलों का होना अनिवार्य है क्योंकि इनके अभाव में प्रत्येक उम्मीदवार स्वतंत्र होगा जिस कारण वह कोई बड़े राजनैतिक

बदलाव के लिए वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा,लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए राजनैतिक दलों का होना अनिवार्य है |

राजनैतिक दलों के कार्य :-

- राजनैतिक दल सफल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है |
- राजनैतिक दल सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं |
- राजनैतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं |
- एक स्वस्थ लोकत्रंत्र में राजनैतिक दल मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करके सरकार को अपने फैसले बदलने पर बाध्य करते हैं|
- राजनैतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं |

भारत के प्रमुख राजनैतिक दल :-

भारत एक बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित देश है , सामान्य रूप से यहाँ राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय आधार पर बांटा गया है

(a) राष्ट्रीय राजनैतिक दल :-

भारत में कुल पंजीकृत दल 7 हैं जो निम्न प्रकार हैं

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजनैतिक दल	संक्षिप्त नाम	प्रतीक	स्थापना वर्ष	वर्तमान अध्यक्ष
1	भारतीय जनता पार्टी	BJP	कमल	1980	अमित शाह
2	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	INC	हाथ	1885	सोनिया गांधी
3	मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	CPI-M	हंसिया और हथौड़ा	1964	सीताराम येचुरी
4	भारतीय कम्युनिस्टपार्टी	CPI	बाली और हंसिया	1925	सुधाकर रेड्डी
5	बहुजन समाज पार्टी	बसपा	हाथी	1984	मायावती
6	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	NCP	घडी	1999	शरद पंवार

7	तृणमूल कांग्रेस	TMC	फूल व घास	1998	ममता बनर्जी

(b) क्षेत्रीय राजनैतिक दल :-

उपरोक्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय राजनैतिक दल भी हैं जिनका अलग अलग राज्यों में पूर्ण प्रभाव है ,जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रीय राजनैतिक दल निम्न हैं|

क्रम संख्या	नाम	चुनाव चिन्ह	राज्य	स्थापना वर्ष	अध्यक्ष
1	आम आदमी पार्टी	झाड़ू	दिल्ली	2012	अरविन्द केजरीवाल
2	आल इंडियन अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	दो पत्ती	पोंडिचेरी , तमिलनाडु	1972	ओ पन्निसेल्वाम
3	बीजू जनता दल	शंख	ओडिशा	1997	नवीन पटनायक
4	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	उगता हुआ सूरज	पोंडिचेरी , तमिलनाडु	1949	करूणानिधि
5	इंडियन नेशनल लोकदल	चश्मा	हरियाणा	1999	ओम प्रकाश चौटाला
6	जनता दल यूनाइटेड	तीर	बिहार	1999	नीतीश कुमार
7	असम गण परिषद्	हाथी	असम	1985	अतुल बोरा
8	उत्तराखंड क्रांति दल	कुर्सी	उत्तराखंड	1979	दिवाकर भट्ट
9	उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी	लेटर बॉक्स	उत्तराखंड	2009	पी सी तिवारी
10	शिरोमणि अकाली दल	तराजू	पंजाब	1920	सुखबीर सिंह बदल
11	समाजवादी पार्टी	साइकिल	उत्तर प्रदेश	1992	अखिलेश यादव
12	शिवसेना	तीर कमान	महाराष्ट्र	1966	उद्धव ठाकरे
13	तेलगू देशम	साइकिल	आंध्र प्रदेश , तेलंगाना	1982	चन्द्रबाबू नायडू

14	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	बिहार	1997	लालू प्रसाद यादव
15	पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	कलम दवात	जम्मू कश्मीर	1999	महबूबा मुफ़्ती

<u>राजनैतिक दलों का पंजीकरण :-</u>

भारत में राजनैतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है | चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गयी थी| चुनाव आयोग ही राजनैतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है |

<u>राजनैतिक दलों की मुख्य चुनौतियां :-</u>

वर्तमान समय की राजनीती में राजनैतिक दलों को चाहे वो किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हों , बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है , जिनमे से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं

- **धन बल की चुनौती :-**

  राजनैतिक दलों के सामने आने वाली एक प्रमुख चुनौती धन बल है, क्योंकि जैसे जैसे राजनीति में धनबल बढता चला जा रहा है, वैसे वैसे इन राजनैतिक दलों के भीतर भी ऐसे लोगों का प्रभाव बढता चला जा रहा है जो वैचारिक दृष्टि से शून्य हैं परन्तु धन के बल पर पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं |

- **वंशवाद की चुनौती :-**

  राजनैतिक दलों की एक प्रमुख चुनौती वंशवाद भी है | अधिकाँश राजनैतिक पार्टियों में शीर्ष पदों पर वंश परंपरा के आधार पर ही लोगों को नियुक्त किया जाता है, और यह एक परंपरा बन जाती है कि पिता के पश्चात उसका पुत्र ही उस पार्टी का मुखिया बनेगा , इस धारणा के चलते ही जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को उन पदों पर कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता है |

- **पार्टी के भीतर आन्तरिक लोकतंत्र का न होना :-**

  लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास रखने वाली राजनैतिक पार्टियों के भीतर स्वयं आन्तरिक लोकतंत्र का न होना भी एक मुख्य चुनौती है | इन दलों द्वारा लिए जाने वाले समस्त महत्वपूर्ण फैसलों मैं केवल शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की ही राय ली जाती है तथा निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की प्रायः अवहेलना की जाती है तथा इसके अतिरिक्त समस्त

कार्यकर्ताओं को आगे बड़ने का पूर्ण अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाता है, एक प्रकार से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही सभी प्रकार के फैसले लेते है , अन्य की राय नहीं पूछी जाती है |

- **अपराधी तत्वों का बढता प्रभाव :-**

  वर्तमान समय में सभी राजनैतिक पार्टियों की सबसे बड़ी चिंता येन केन प्रकारेण चुनाव जीतने की होती है और इसके लिए वो समस्त तरीकों को आजमाते हैं , पार्टियाँ ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जो अपनी अपराधी छवि के कारण मतदाताओं को डरा धमका कर वोट प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, यही कारण है कि वर्तमान में साफ़ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार चुनाव में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं |

- **विकल्पहीनता की स्थिति :-**

  विभिन्न राजनैतिक दलों में विकल्पहीनता की स्थिति भी एक प्रमुख चुनौती है | पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के वैचारिक अंतर बहुत कम रह गया है, जिस कारण से अब सारे राजनैतिक दल एक ही प्रकार के लगने लगे हैं , और उससे मतदाताओं के मध्य विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो गयी है |

- **दल बदलने की प्रवृति :-**

  विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं में अपने अपने स्वार्थ व हित साधने के लिए एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने की प्रवृति दिखाई देती है , इस दल बदलने की प्रवृति के कारण राजनैतिक दलों की विश्वसनीयता मतदाताओं के मध्य कम होने लगती है और दलों से मतदाताओं का मोह भंग होने लगता है |

<u>राजनैतिक दलों में सुधार के लिए किये गए प्रयास और सुझाव :-</u>

हमारे देश में राजनैतिक दलों की दिन प्रतिदिन कम होती विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए और इनके प्रति जनता के मन में सम्मान पैदा करने की लिए समय समय पर निम्न कार्य किये गए हैं

- विधायकों और सांसदों को दल बदलने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, इसके अनुसार अब दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी छोडनी होगी | इस नये कानून से दल बदल में कमी आयी है | दल बदल कानून 8 वें लोकसभा चुनाव के बाद 24 जनवरी 1985 को 52 वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिये लोकसभा में पेश किया था ,30 जनवरी को लोकसभा और 31 जनवरी को राज्य सभा में पारित हुआ और

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम अस्तित्व में आया, संविधान की दसवीं अनुसूची को ही दल बदल कानून के तौर पर जाना जाता है|

- राजनैतिक दलों के आन्तरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए , सभी दलों को अपने सदस्यों की सूची बनानी चाहिए और अपनी पार्टी के संविधान का पालन करना चाहिए |
- चुनाव का खर्च निश्चित होना चाहिए और उस पर चुनाव आयोग को कड़ी नजर रखनी चाहिए |
- लोगों के द्वारा भी राजनैतिक दलों पर सुधार के लिए दबाब डाला जाना चाहिए |
- सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों को खुद राजनैतिक दलों में शामिल होना चाहिए , क्योंकि लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है |
- एक महत्त्वपूर्ण फैसले के अन्तर्गत अब समस्त चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति से सम्बंधित घोषणा पत्र भरना होता है |
- स्वयं राजनैतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व को भी अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देने से बचना चाहिए ,और निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी निगरानी करनी चाहिए |
- सबसे महत्वपूर्ण यह है की स्वयं मतदाताओं को जागरूक रहना चाहिए तथा ऐसे राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों का बहिष्कार करना चाहिए जो धनबल या बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं |

<u>अभ्यास प्रश्न : -</u>

प्रश्न १ : राजनैतिक दल का क्या अर्थ है ?

प्रश्न २ : भारत के किन्ही दो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनैतिक दलों के नाम लिखिए ?

प्रश्न ३ : चुनाव आयोग की स्थापना कब की गयी थी ?

प्रश्न ४ : राजनैतिक दलों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ?

प्रश्न ५ : राजनैतिक दलों में सुधार के लिए क्या प्रयास किये जाने चाहिए ?

प्रश्न ६ : भारतीय संविधान की किस अनुसूची को दल बदल कानून के तौर पर जाना जाता है ?

<u>सन्दर्भ सूची :</u>

१: यूनिक क्विंटेसेन्स , सामान्य ज्ञान .

२: लोकतान्त्रिक राजनीति , उत्तराखंड बोर्ड , कक्षा १० .

३: इन्टरनेट से संकलन .